समाहरणालय, नालन्दा

(जिला योजना कार्यालय)

निविदा

जिला योजना कार्यालय, नालन्दा द्वारा संचालित सांसद योजना के लिए एक अदद एम्बुलेंस का क्रय किया जाना है। एम्बुलेंस क्रय हेतु निविदादाता/आपूर्त्तिकर्त्ता/निर्माता आदि से मुहरबंद निविदा दिनांक 09.09.2019 को पूर्वाह्न 11:00 बजे तक Double-Bid प्रणाली के अन्तर्गत आमंत्रित कि जाती है।

Double-Bid प्रणाली के अन्तर्गत समर्पित की जानेवाली निविदा में एक लिफाफा Financial–Bid (लिफाफा-A) का होगा जिसमें सिर्फ वस्तुओं का दर अंकित किया जाएगा। यह दर टंकित होना चाहिए एवं इसमें किसी प्रकार की overwriting अथवा cutting मान्य नहीं होगी। जबकि दूसरा लिफाफा Technical-Bid (लिफाफा-B) का होगा एवं इसमें सभी वांछित कागजात एवं अग्रधन की राशि बैंक ड्राफ्ट के रूप में समर्पित करना होगा। दोनों लिफाफे लाह से सील बंद किये जायेंगे एवं लिफाफों के ऊपर स्पष्ट रूप से Financial–Bid एवं Technical-Bid अलग–अलग जिस विषय का लिफाफा होगा अंकित होना चाहिए। इसके अतिरिक्त निविदादाता सील्ड बंद लिफाफों के ऊपर अपने प्रतिष्ठान का नाम एवं पता अंकित करेंगे। दोनों लिफाफे के ऊपर निविदा आमंत्रित करनेवाले प्राधिकार का नाम अंकित करना होगा। ये दोनों सील बंद लिफाफे एक बड़े लिफाफे (लिफाफा-C) के अन्दर रखे जायेंगे एवं उक्त लिफाफा को भी सील बंद कर जिला योजना कार्यालय, नालन्दा में दिनांक 09.09.2019 को पूर्वाह्न 11.00 बजे तक समर्पित करना होगा। निविदा की विस्तृत शर्तों का अवलोकन जिले के बेवसाईट **www.nalanda.bih.nic.in** पर किया जा सकता है अथवा जिला योजना कार्यालय, नालन्दा से प्राप्त किया जा सकता है। किसी भी शंका का समाधान जिला योजना कार्यालय के दूरभाष संख्या 06121–232220 पर कार्यालय अवधि में सम्पर्क कर किया जा सकता है। प्राप्त निविदायें उसी दिन दिनांक 09.09.2019 को अपराह्न 04.00 बजे उप विकास आयुक्त, नालन्दा के कार्यालय प्रकोष्ठ में खोली जाएगी जिसमें निविदादाता स्वयं अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत किये गये प्रतिनिधि भाग ले सकते हैं। दिनांक 30.08.2019 को अपराह्न 04.00 बजे उप विकास आयुक्त, नालन्दा के कार्यालय कक्ष में निविदा से संबंधित Pre Bid Meeting की जाएगी, जिसमें कोई भी इच्छुक निविदादाता/आपूर्त्तिकर्त्ता/निर्माता भाग ले सकते हैं।

तकनीकी निविदा की शर्तें :–

1. निविदादाता को अग्रधन के रूप में 50,000/–(पचास हजार) रूपये का बैंक ड्राफ्ट जिला योजना पदाधिकारी, नालन्दा के नाम से जमा करना होगा। यह बैंक ड्राफ्ट किसी भी बैंक के नालन्दा शाखा में भुगतेय होगा।
2. तकनीकी निविदा के साथ वित्तीय वर्ष 2016–17 एवं वित्तीय वर्ष 2017–18 (Assesment Year : 2017-18 एवं 2018-19) के आयकर रिटर्न की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करनी होगी।
3. निविदादाता निविदा के साथ प्रतिष्ठान/साझेदार/स्वयं के PAN Card की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करेंगे।
4. तकनीकी निविदा के साथ आपूर्तिकर्त्ता को आवंटित GST No. के आवंटन पत्र/पंजीकरण प्रमाण–पत्र की स्वअभिप्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
5. निविदादाता को भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा काली सूची में दर्ज नहीं होने से संबंधित शपथ–पत्र समर्पित करना होगा।
6. निविदादाता को एम्बुलेंस से संबंधित तकनिकी विवरणी/Litrature/ फोटो/आकार आदि तकनिकी निविदा के साथ समर्पित करना होगा। तकनीकी निविदा खुलने के बाद क्रय समिति के सदस्यों द्वारा उक्त विवरणी के आधार पर लिये गये निर्णय के आलोक में वित्तिय निविदा खोलने हेतु अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी।

वित्तीय निविदा की शर्तें :–

1. वित्तीय निविदा में दर सभी करों एवं Charges सहित अंकित करना होगा एवं इस दर पर सरकार द्वारा निर्धारित करों की कटौती स्रोत पर की जाएगी।
2. वित्तीय निविदा टंकित होनी चाहिए एवं इसे निविदादाता अपने Letter Head पर टंकित कर दर समर्पित करेंगे एवं इसमें किसी प्रकार की cutting एवं overwriting मान्य नहीं होगी।
3. आपूर्ति किये जाने वाले एम्बुलेंस पर मद का विवरण अंकित करना होगा एवं इस कार्य को समाहित कर निविदादाता दर समर्पित करेंगे।
4. समर्पित दरों में वाहन का पंजीकरण शुल्क एवं एक वर्ष का सामान्य बीमा के साथ दर अंकित करना होगा।

निविदा की अन्य शर्तें :–

1. एम्बुलेंस के दर निर्धारण की प्रक्रिया वर्त्तमान वित्तीय वर्ष हेतु होगी एवं प्राप्त अनुशंसाओं के आलोक में चयनित निविदादाता को इस वित्तीय वर्ष में प्राप्त होने वाली अनुशंसाओं के आधार पर आपूर्ति करनी होगी।
2. सरकारी विभागों में एम्बुलेंस की आपूर्ति करने का क्रयादेश/भुगतानादेश/कार्य समापन प्रतिवेदन प्रतिठानों/निविदादाता/निर्माता को अनुभव प्रमाण पत्र के रुप में समर्पित करना होगा एवं इन प्रतिठानों को प्राथमिकता दी जाएगी।
3. निविदा को बिना कारण बताये किसी भी समय रद्द/स्थगित करने का अधिकार उप विकास आयुक्त, नालन्दा के पास सुरक्षित होगा।
4. कोई भी विवाद का समाधान नालन्दा जिला के न्यायालय के क्षेत्राधिकार में होगा।

ह0/–
उप विकास आयुक्त,
नालन्दा।

ज्ञापांक 898 /जि० यो० दिनांक 8.8. 2019.

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, नालन्दा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश है विस्तृत निविदा शर्तें एवं संलग्न प्रपत्र जिले के वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे।

उप विकास आयुक्त,
नालन्दा।